

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :- रा0खा0आ0 (शि0)-जामताड़ा/ICDS-04/2024 - 242
प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

प्रधान सचिव
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
झारखण्ड, राँची।

विषय:- आंगनबाड़ी केन्द्रों में अनियमितता के आरोप से संबंधित परिवाद पत्र
पर कार्रवाई के संबंध में।

राँची, दिनांक:- 28.02.2024


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों में दिये जाने वाले ICDS में अनियमितता के आरोप से संबंधित परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। झारखण्ड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के महामंत्री-सह-राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाम से प्राप्त उक्त परिवाद पत्र में आंगनबाड़ी केन्द्रों में अण्डा नहीं मिलने, 30% केन्द्र बन्द रहने, केन्द्रों में बच्चों की उपस्थिति नगण्य रहने सहित अन्य आरोप लगाये गये हैं।

अतः प्राप्त परिवाद पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन



(संजय कुमार)

सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

21/2/24



झारखण्ड राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी युनियन

Regd. No. 3985 (AFF - AIABWF - AITUC)

कार्यालय : राणपल्ली, जामताड़ा - 815351 (झारखण्ड)

E-mail : aitucjamtara@gmail.com, WhatsApp No. : 9431951521

कार्यालय : राफीक भवन, ओ.सी.कम्पाउण्ड, लेक रोड, राँची, 834001

कार्यालय : ऐटक भवन, रोज एम्प्लू 35-38 D.D.D. मार्ग, नई दिल्ली



| | | |
|---|--|---|
| ऐलीजाबेथ मुर्मु अध्यक्षा मो० : 9199681954 | का० नजीता रानी गोराय कार्यकारी अध्यक्षा मो० : 9031932470 | का० चिन्तामणि महल, महामंत्री मो० : 0084721232, 8539027511 |
|---|--|---|

अति गौणनीय पत्र

पत्रांक 140/24

दिनांक 09.02.24.

सेवा में
माननीय अध्यक्ष महोदय,
झारखण्ड राज्य स्वास्थ आयोग,
झारखण्ड बुडकाड राँची।
मैडा प्रणाम बुडकाड कडे।

विषय:
झारखण्ड में ICDS
की स्थिति।
प्रसंग:- W/S. NO.
9142622194.

M.S
क
20.2.24

सिद्धांत
21/02/24

391
21.2.24

जोडाड बुड,
विभिन्न निधियों में झारखण्ड में छपी सूचना
अधिकाड जाने, अधिकाड मांगे, के आलोक में,
निवेदन कइवा है कि, झारखण्ड में ICDS की
स्थिति गंभीर है। आपके सूचनार्थ।

1. आठ केन्द्र में 03 से 06 बर्ष बच्चों का गर्भ भोजन:-
 - A. 20% ICDS अधिकारी नेनी है भाऊचार पास में;
 - B. 05% दुकानदार लेते है गलत भाऊचार देने में;
 - C. 15% केन्द्र में फ्रीमटी भाऊचार हस्ताक्षर में;
 - D. 30% मंहगाई के कारण खरीद कम होती है।
 - E. 30% राशन ही मिलता है बच्चों को भोजन में।
 - क. डीलार 50 R.C बोझ में 45 R.C थावल देता है
 - ख. अंडा नहीं मिलता है।
 - ग. भोजन बन्द में माता का प्रबन्ध नहीं है।
2. गर्भवती, धातू माताओं की पीकेट पीषाहाड
गाय, भोज, अकरी खानी है। खाटाल में देखे।
3. इडके परिणाम,
क. स्वास्थ सुदसा अधिनियम 2013,
(कूठकूठ)

एव. पाल सुदक्ष अधिनियम 2005.

ग. सुप्रीम कोर्ट आदेश 300 दिन घोषाहार का अनुपालन नहीं हो रही है।

3. महोदय केन्द्र संचालन कि स्थिति निम्न प्रकार है,

A. 30% केन्द्र बन्द रहती है।

B. 40% केन्द्र में कबो की उपस्थिति नगण्य रहती है।

C. 30% केन्द्र की संचालन संतोष जनक है।

दो जवानों में कहती है ICDS कमी,

ICDS अधिकारी * इहवी है सुपाट बंगला में,

* चमती है मंहगी काडू में,

* बीटा, बीटी पदाती दिव्नी और बंगलोट में,

* ICDS को लटका दिया फांसी में ॥

महोदय, कैसे बनेगा, रूपोक्ष्य मुक्त भारत ॥

आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रार्थना ॥



(Signature)
9.2.24.
काठ चिन्तामणि मंडल
महामंत्री, सह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
ABKU - AIABWF

जय हिन्द - जय भारत ॥

ऑल इंडिया आंगनवाड़ी कर्मचारी फेडरेशन
संयुक्त संघर्ष मोर्चा भारतखण्ड